nwda.gov.in

जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए पीएम सिंचाई योजना पर भी नजर

मनीष तिवारी ● नई दिल्ली

- राष्ट्रीय टास्क फोर्स में विशेषज्ञों ने कहा-सिंचाई में 50 बीसीएम पानी बचाना संभव
- माइक्रो सिंचाई का ढांचा बनना चाहिए, भूजल के इस्तेमाल से जल त्रासदी का डर

जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को नया रूप देने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जल आयोग में हो रहे विचार-विमर्श के आधार पर इस योजना को जल उपयोग बढ़ाने के प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा गया है। जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मौजूदा स्वरूप में इस योजना ने जमीन पर सिंचाई के लिए किसानों की मदद की है, लेकिन सिंचाई को आधुनिक तकनीक के साधनों से जोड़ने में ज्यादातर राज्य गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी हो रही है।

देश में पानी के इस्तेमाल की क्षमता को बीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम कर रहे नेशनल ब्यूरो आफ वाटर यूज इफिशिएंसी (एनबीडब्लूयूई) के टास्क फोर्स की अब तक हुई तीन बैठकों में विशेषज्ञों ने पीएम कृषि सिंचाई योजना में सुधार की वकालत की है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नए रूप में पीएम कृषि सिंचाई योजना को स्मार्ट सिंचाई ढांचा उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम में बदला जा सकता है। इससे जल उपयोग की दक्षता को नब्बे प्रतिशत तक लाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 50 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) पानी बचाया जा सकता है। इसे इसतरह समझा जा सकता है कि देश के सभी जलाशयों में किसी भी समय औसतन इतना ही पानी होता है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार माइक्रो सिंचाई का स्रोत भूजल नहीं हो सकता है। भूजल का प्रयोग बहुत बड़ी जल त्रासदी साबित हो सकता है। मंत्रालय भूजल के दोहन को सामुदायिक इस्तेमाल तक सीमित करने पर विचार कर रहा है। सोलर पंप के प्रयोग को भी नियंत्रित करने के लिए सोच-विचार में बदलाव तथा नीतिगत परिवर्तन की जरूरत है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में बदलाव के साथ राज्यों के सिंचाई विभागों को जल सेवा वितरण विभाग के रूप में काम करना होगा। तभी पानी की मात्रा पर नियंत्रण तथा मीटरिंग संभव होगी। उपभोक्ता भुगतान करेंगे और पानी के सिस्टम का रखरखाव होगा।